Building Construction Corporation was brought in as a contractor.

(d) A press note was issued inviting tenders. The tenders received were opened in the presence of tenderers and evaluated. A private contractor whose tender was the lowest. being 37.5 per cent above the scheduled rates was awarded the contract, in preference to others including NBCC whose rate was 120 per cent above the scheduled rates and Rs. 8.80 lakhs above the lowest tenderer.

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को धन तथा छात्रवृत्तियां

3260. **श्री प० ला० बारूपाल** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के लागू होने से पहले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों तथा परिवारों को राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धन तथा छात्रवृत्तियां दी जाती थीं परन्तु पंचायती राज प्रणाली के लागू होने के बाद पंचायती समितियों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई व्यवस्था के अन्तर्गत इन निधियों का पिछले दस वर्षों से इन विद्यार्थियों के लाभ के लिये उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करने के लिये सरकार संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां बांटने का काम पंचायत समितियों को सौंपा गया था । बाद में माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को छात्रवृत्तियां बांटने का काम पंचायत समितियों से ले लिया गया था तथा अब यह काम शिक्षा विभाग कर रहा है। छात्रवृत्तियां बांटने में देरी की शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकारें प्राथमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियों की योजना पर पुनः विचार रही हैं ।

(ख) ऐसा करना ठीक प्रतीत नहीं होता है ।

नई दिल्ली के बाजारों में दुकानों में शिकमी किरायेदार रखना

3261. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री शारदानन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में हाल में बने बाजारों में अधिकतर दुकानों के अलाटियों ने उनमें शिकमी किरायेदार रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुकानें कितनी है और वे दुकानें किन-किन इलाकों में हैं;

(ग) संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). दुकानों को शिकमी पर देने के कई मामले समय समय पर सरकार के ध्यान में आये हैं । ये मामले केवल नई बनाई गई मार्केटों के सम्बन्ध में ही नहीं हैं, अपितु अन्य मार्केटों के सम्बन्ध में भी हैं । अलाटियों द्वारा शिकमी पर दी गयी दुकानों की कुल संख्या ज्ञात नहीं ।

(ग) शिकमी पर देने के मामले ध्यान में तब आते हैं तब शिकमी पर प्राप्त करने वाले

व्यक्ति इन दुकानों को अपने नाम नियमित कर देने के लिये सरकार से प्रार्थना करते हैं अथवा जब इस सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है :—

(i) जब कोई भी दुकान किसी अन्य व्यक्ति को शिकमी पर दी जाती है और शिकमी पर प्राप्तकर्ता व्यक्ति इसके नियमन के लिये सरकार से प्रार्थना करता है तो मार्केटों के प्रशासन से संबंधित विद्यमान हिदायतों के अनुसार वह दुकान उस अन्य व्यक्ति के नाम नियमित कर दी जाती है, शर्त यह है कि वह व्यक्ति यह साबित कर सके कि दुकान उसके कब्जे में है और उसने किराये की पूरी बकाया राशि अदा कर दी है और वह उस दुकान के लिये निश्चित बाजार दर किराये के बराबर लाइसेंस फ़ी और उसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत राशि अदा करने के लिये सहमत है।

(ii) जहां सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह दुकान वस्तुतः अन्य व्यक्ति की शिकमी पर दी गई थी परन्तु वह अन्य व्यक्ति दुकान के नियमन के लिये सरकार से प्रार्थना नहीं करता तो ऐसे मामलों में, उसकी अलाटमेंट रद्द कर दी जाती है और बेदखली अधिनियम के अधीन उसे बेदखल करने की कार्यवाही की जाती है।

(घ) अलाटियों द्वारा अपनी दुकानें अन्य व्यक्तियों को अन्तरित कर देना एक सामान्य व्यापारिक प्रणाली है और मार्केट प्रशासन सम्बन्धी हिदायतों में इस सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान है।

ग्राम्य और औद्योगिक परियोजनायें

3262. **श्री गं० चं० दीक्षित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विकास खंड को ग्राम्य औद्योगिक परियोजना के अन्तर्गत लाने लिये क्या सिद्धान्त अपनाये जाते हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे विकास खंडों की संख्या कितनी है, जहां यह परियोजना आरम्भ की गई है; और

(ग) उन अत्यावश्यक विकास खंड क्षेत्रों को, जिन्हें इस समय इस परियोजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है, कब तक इस परियोजना के अन्तर्गत लिया जायेगा ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या LT—748/67]

Family Planning Clinics in Orissa

3263. **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Heerji Bhai:
Shri K. Pradhani:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of family planning clinics functioning at present in Orissa both in rural and urban areas; and

(b) the number of clinics proposed to be opened in that State during 1967-68?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) 284.

(b) 15.

Tribal Blocks in Orissa

3264. **Shri Ramachandra Ulaka:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Heerji Bhai:
Shri K. Pradhani:

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of **Tribal Blocks** at present in Orissa State;